●●●●● Vodafone IN 6:33 pm 94%

MoEF OM on Validity Extension...

1 of 3

रजि॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 886] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937
No. 886] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015 /VAISAKHA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2015

का.आ. 1141(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात्, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) की विधिमान्यता के संबंध में पैरा 9 पैरा उसके पैरा (i) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा;

(ii) पैरा (i) इस प्रकार संख्यांकित किया जाएगा,-

(क) "और सभी अन्य परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "और सभी अन्य परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में सात वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) "तथापि, क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगर क्षेत्र की दशा में" शब्दों के साथ प्रारंभिक भाग पर और "यथास्थित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ समिति के परामर्श" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग पर निम्नलिखित शब्दों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) क्षेत्र विकास परियाजनाओं और नगर क्षेत्र [मद 8(ख)], की दशा में विधिमान्य अवधि केवल ऐसे क्रियाकलापों तक सीमित होगा जहां तक किसी विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व है :

Vodafone IN 6:34 pm 94%

MoEF OM on Validity Extension...

2 of 3

"(ii) क्षेत्र विकास परियाजनाओं और नगर क्षेत्र [मद 8(ख)], की दशा में विधिमान्य अवधि केवल ऐसे क्रियाकलापों तक सीमित होगा जहां तक किसी विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व है :

परंतु यह भी कि विधिमान्यता की यह अवधि संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा सात वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा परंतु यह तब जबकि कोई आवेदन आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण को संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों (अनुसूची की मद 8) अद्यतन प्रारूप I और अनुपूरक प्रारूप 1क सहित विधिमान्य अवधि के भीतर विनियामक अवधि के भीतर किया जाता है :

परंतु यह भी कि विनियामक प्राधिकरण यथास्थित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति इसके विस्तार की मंजूरी के लिए परामर्श भी कर सकेगा।

(क) ईसी की विधिमान्य अवधि के पश्चात् एक मास के भीतर ऐसे मामलों के लिए विलंब को संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति (ईएसी) या राज्य स्तर आंकलन समिति (एसईएसी) और उनकी सिफारिशों के आधार पर यथास्थिति संयुक्त सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या सदस्य सचिव एसईआईएए के स्तर पर माफ किया जाएगा;

(ख) ईसी की विधिमान्य अवधि के पश्चात् एक माह से अधिक परंतु ऐसी विधिमान्य अवधि के पश्चात् तीन मास से अन्यून है तो ईएसी या एसईएसी की सिफारिशों के आधार पर यथास्थिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन प्रभारी मंत्री या अध्यक्ष के अनुमोदन से विलंब माफ किया जाएगा :

परंतु यह कि विलंब की माफी के लिए विस्तार हेतु कोई आवेदन ईसी की 90 दिन की विधिमान्य अवधि के पश्चात् मंजूर नहीं किया जाएगा।"।

[फा. सं. जे-11013/12/2013-आईए-II(I)(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसको निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007 ; का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 ; का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ; का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसबर, 2012 ; का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ; का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ; का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ; का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ; का.आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014; का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014; और का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2015

S.O. 1141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment(Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India , in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of rule 5 of the said rule, in public interest, namely:—

In the said notification,—

(i) Paragraph 9 relating to validity to Environment Clearance (EC) shall be re-numbered as paragraph (i) thereof;

rule 5 of the said rule, in public interest, namely:—

In the said notification,—

(i) Paragraph 9 relating to validity to Environment Clearance (EC) shall be re-numbered as paragraph (i) thereof;

(ii) in paragraph (i) as so numbered,-

(a) for, the words "and five years in the case of all other projects and activities", the words "and seven years in the case of all other projects and activities" shall be substituted;

(b) for the portion beginning with the words "However, in the case of Area Development projects and Townships" and ending with the words "consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be." The following shall be substituted, namely:-

"(ii) In the case of Area Development projects and Townships [item 8 (b), the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer:

Provided that this period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of seven years if an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form I, and Supplementary Form IA, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule):

Provided further that the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, for grant of such extension.

(iii) Where the application for extension under sub-paragraph (ii) has been filed-

(a) within one month after the validity period of EC, such cases shall be referred to concerned Expert Appraisal Committee (EAC) or State Level Expert Appraisal committee (SEAC) and based on their recommendations, the delay shall be condoned at the level of the Joint Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Member Secretary, SEIAA, as the case may be;

(b) more than one month after the validity period of EC but less than three months after such validity period, then, based on the recommendations of the EAC or the SEAC, the delay shall be condoned with the approval of the Minister in charge of Environment Forest and Climate Change or Chairman, as the case may be:

Provided that no condonation for delay shall be granted for any application for extension filed 90 days after the validity period of EC."

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (I) (part)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended *vide* S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O.674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 , S.O. 637(E) dated the 28th February, 2014, S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014 and S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.